



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276350
CG-DL-E-21092026-276350

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4876]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948

No. 4876]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026

का.आ. 5066(अ).— भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि ओडिशा राज्य में मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन (अनुभाग-नागपुर-झारसुगुडा) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा राज्य,

मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड, 612, उत्कल सिग्रेचर, पहला, एनएच-5, भुवनेश्वर-752101, ओडिशा को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

अनुभाग: नागपुर-झारसुगुडा

अनुसूची (नए सर्वे नंबर)						
राज्य: ओडिशा						
ज़िला	तहसील/ तालुक	गांव	सर्वे सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर-	आर-	वर्गमीटर
1	2	3	4	5		
झारसुगुडा	लखनपुर	कुदलोई	1316	00	02	59
			1308	00	00	90
			1306	00	00	68
			1304	00	00	22
			1303	00	02	06
			2725	00	00	24
			2742	00	00	56
			2743	00	00	74
			2747	00	05	00
			2633	00	01	02
			2635	00	01	64
			1302/3460	00	00	88
			2618/4484	00	01	20

मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

अनुभाग: नागपुर-झारसुगुडा

अनुसूची (संशोधित सर्वे नंबर)									
राज्य: ओडिशा									
ज़िला	तहसील/ तालुक	गांव	अधिसूचित सर्वे सं.	अधिसूचित क्षेत्रफल धारा 3(1) के अन्तर्गत अधिसूचना (का. आ. संख्या 3084 (अ) दिनांक 30.06.2025 जो दिनांक 10.07.2025 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित है			संशोधित क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर-	आर-	वर्गमीटर	हेक्टेयर-	आर-	वर्गमीटर
1	2	3	4	5			6		
झारसुगुडा	लखनपुर	कुदलोई	1316/4456	00	00	42	00	00	86
			1645/3346	00	00	37	00	00	74
			1316/4459	00	00	46	00	00	93

[फा. सं. एल-14014/130/2022-जीपी-II (ई43334)]

राजन कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2026

S.O. 5066(E).— whereas it appears to Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Natural Gas through **Mumbai – Nagpur – Jharsuguda Natural Gas Pipeline** Section of **Nagpur – Jharsuguda** in the state of **Odisha**, a pipeline should be laid by M/s. GAIL (India) Limited.

And whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), Government of India hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule, may within twenty-one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, State of **Odisha**, M/s.GAIL (India) Limited.

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline**Section: Nagpur-Jharsuguda**

Schedule (New Survey Number)						
State- ODISHA						
District	Tehsil/Taluk	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5		
Jharsuguda	Lakhanpur	Kudaloi	1316	00	02	59
			1308	00	00	90
			1306	00	00	68
			1304	00	00	22
			1303	00	02	06
			2725	00	00	24
			2742	00	00	56
			2743	00	00	74
			2747	00	05	00
			2633	00	01	02
			2635	00	01	64
			1302/3460	00	00	88
			2618/4484	00	01	20

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline**Section: Nagpur-Jharsuguda**

Schedule (Revised survey Number)									
State: ODISHA									
District	Tehsil/Taluk	Village	Notified Survey No.	Notified Area As per the Gazette Notifications issued under Section 3(1) (S.O. No. 3084 (E), dated 30.06.2025, published in the Extraordinary Gazette dated 10.07.2025			Revised Area		
				Hect.	Are	Sq. Mt.	Hect.	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5			6		
Jharsuguda	Lakhanpur	Kudaloi	1316/4456	00	00	42	00	00	86
			1645/3346	00	00	37	00	00	74
			1316/4459	00	00	46	00	00	93

[F. No. L-14014/130/2022-GP-II (E-43334)]

RAJAN KUMAR SHAW, Under Secy.